सी-4-939/84-10
संख्या—2128एस0सी0 / 18—2—2010-491।

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र त्रिवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग—2 लखनऊ : दिनांक 21 सितम्बर, 2010

विषयः— उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों के कर्मचारियों को वी0आर0एस0 दिये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ, लखनऊ के पत्र संख्या—333यू0पी0एफ0 / लेखा / वी0आर0एस0 / 08—09 दिनांक 18—8—2010 में प्राप्त प्रस्तावानुसार संघ की 03 चीनी मिलों यथा—औराई, धुरियापार एवं सठियांव में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 में उक्त चीनी मिलों के ऐसे कार्मिक जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने के इच्छुक हो, को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी0आर0एस0) के अन्तर्गत लाभ दिये जाने हेतु रू0 24,35,44,000 / — (रूपया चौबीस करोड पैतीस लाख चौवालिस हजार मात्र) की धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदान किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान करते हैः—

(1) उक्त धनराशि उसी कार्य के लिए व्यय की जायेगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय सार्वजनिक उद्यम विभाग के संगत शासनादेशों के अनुसार, अर्ह कार्मिकों को अनुमन्य मदों के अन्तर्गत देय राशियों का आगणन शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार करते हुए, किया जाय।

(3) वी0आर0एस0 के कियान्वयन के फलस्वरूप जो पद रिक्त होगे, उस पर भविष्य में कभी भी भर्ती / नियुक्ति नहीं की जायेगी।

2— उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

(1) कोषागार का नाम
(2) चालान संख्या तथा दिनांक
(3) जमा धनराशि का विवरण

(4) लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत किश्त जमा की गई
(5) शासनादेश संख्या और एस0एल0आर0 का संदर्भ
(6) पिछले जमा का संदर्भ

3– चीनी आयुक्त आहरण के प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायें।

4– भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण–पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगे।

5– इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जायेगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष (2010–11) के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–62 के लेखाशीर्ष–6075–विविध–सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज–आयोजनेत्तर–800–अन्य कर्ज–03–रूग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु कर्ज–30–निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–यू0ओ0–बी–4–136–दस/2010 दिनांक 20 सितम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र त्रिवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या–2128(1)एस0सी0/18–2–2010, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ।
4– वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग–6/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–4।
5- चीनी उद्योग अनुभाग–1/3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
उप सचिव।